माननीय न्यायमूर्ति एच.एस.भल्ला के समक्ष

श्रीमती कांता गुप्ता-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

C.W.P. संख्या 14948/197

5 अक्टूबर, 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II-आरएल.6.17—सरकारी डॉक्टर को निजी मेडिकल प्रैक्टिस में शामिल होने के कदाचार के लिए जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया–बर्खास्तगी विफल होने के खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती–डॉक्टर की मौत–सरकार ने इस आधार पर पारिवारिक पेंशन में कटौती की कदाचार की - कटौती लागू करने को चुनौती - कदाचार के कारण पारिवारिक पेंशन पर कटौती लगाने के लिए पी.सी.एस. नियमों में कोई प्रावधान नहीं - आदेश रद्द कर दिया गया और पारिवारिक पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभों को जारी करने के निर्देश जारी किए गए।

माना गया कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंडII के नियम6.17 में निहित पारिवारिक पेंशन योजना के प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन अनुदान का हकदार है। इन नियमों में मृत सरकारी कर्मचारी के किसी भी कदाचार के कारण पारिवारिक पेंशन में कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही को याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन देने के रास्ते में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। अन्यथा भी, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए थी। उनकी मृत्यु के बाद इनका अनुसरण नहीं किया जा सका। कोई मृत व्यक्ति विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपना बचाव नहीं कर सकता। सक्रिय सेवा के दौरान मृत सरकारी सेवक की विधवा को नियमानुसार प्रदत्त वैध लाभ से वंचित करना अत्यंत अन्यायपूर्ण है। यदि जरूरतमंद परिवार को समय पर सहायता प्रदान नहीं की जाती है और नौकरशाही में लालफीताशाही के कारण मामले को लंबे समय तक लटकाए रखा जाता है, तो पारिवारिक पेंशन योजना और अन्य लाभों का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। (पैरा 4)

मनोहर लाल, याचिकाकर्ता के वकील

अशोक जिंदल, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा, *प्रतिवादी* के लिए

माननीय न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, याचिकाकर्ता ने आयुक्त और सरकार के सचिव, हरियाणा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 30 जून, 1997 को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना की है। स्वास्थ्य विभाग, चंडीगढ़-प्रतिवादी संख्या 1, जिसके तहत पारिवारिक पेंशन पर 50% की कटौती की गई। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण और समूह बीमा राशि का बकाया 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश जारी करने की भी प्रार्थना की है।

(2) इस याचिका के निपटारे के लिए ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता स्वर्गीय डॉ. एम.जी. की विधवा है। गुप्ता, जो 25 जनवरी, 1952 को पंजाब स्वास्थ्य विभाग में सहायक सर्जन, द्वितीय श्रेणी के रूप में शामिल हुए। 25 जनवरी, 1954 को उक्त पद पर उनकी पुष्टि की गई। वह 7 दिसंबर, 1960 को पंजाब लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर, पीसीएमएस क्लास- II के रूप में शामिल हुए। 1 नवंबर, 1966 को पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर, याचिकाकर्ता के पति की सेवाएं हरियाणा राज्य को आवंटित की गईं और इस प्रकार, वह एचसीएमएस, वर्ग- II के सदस्य बन गए और उन्हें चिकित्सा अधिकारी के रूप में पुष्टि की गई। 1 नवंबर, 1966 से

हरियाणा राज्य में प्रभावी। मार्च, 1977 के महीने में, उन्हें पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1952 (इसके बाद संदर्भित) के नियम 7 के तहत आरोप पत्र दिया गया था। उसमें आरोप लगाया गया कि उसने एक नर्सिंग होम खोला और अपनी निजी प्रैक्टिस कर रहा था। याचिकाकर्ता के पति ने, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 3.26 के तहत 7 नवंबर, 1978 को तीन महीने का नोटिस दिया। नोटिस की अवधि 8 फरवरी, 1979 को समाप्त हो गई और वह स्वचालित रूप से उस तारीख यानी 8 फरवरी, 1979 से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। याचिकाकर्ता के पति डॉ. एम.जी. 10 मई, 1987 को गुप्ता की मृत्यु हो गई। हालाँकि, विवादित आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन पर 50% की कटौती की गई, दिनांक 30 जून, 1997 के आदेश के द्वारा। इस आदेश को विधवा द्वारा चुनौती दी गई है मृतक डॉ. एम.जी. गुप्ता के हाथ में रिट याचिका के माध्यम से।

(3) उत्तरदाताओं द्वारा लिखित बयान दायर किया गया है जिसके आधार पर यह बताया गया कि याचिकाकर्ता के पति को नियमों के नियम 7 के तहत आरोप पत्र दिया गया था। जांच किए जाने पर, जांच अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता का पति बी.के. के बाहर निजी प्रैक्टिस कर रहा था। सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में अस्पताल, फ़रीदाबाद। 1 फरवरी, 1972 के बाद वह निजी प्रैक्टिस करने के

हकदार नहीं थे। याचिकाकर्ता के पति ने निजी चिकित्सा सेवा करने के लिए "गुप्ता नर्सिंग हॉर्न" के नाम और शैली के तहत एक नर्सिंग होम की स्थापना की थी, जिस पर सरकार ने 1 से प्रतिबंध लगा दिया था। 1 फरवरी, 1972। याचिकाकर्ता के पति का यह कृत्य सरकारी निर्देशों का उल्लंघन और सेवा नियमों और कानून के प्रावधानों के खिलाफ था। जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर याचिकाकर्ता के पति को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। लिखित बयान में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पति को सेवा से बर्खास्तगी के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसे 1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 2092 दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ स्थगन दिया गया था। कारण बताओ नोटिस का क्रियान्वयन, दिनांक 11 मई, 1982 के आदेश के तहत, और अंततः, 29 दिसंबर, 1996 को इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ, 1997 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 111 दायर किया गया था। , जिसे भी खारिज कर दिया गया था, - इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दिनांक 29 दिसंबर, 1996 के माध्यम से। इसका मतलब यह है कि, याचिकाकर्ता के पति को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता था और उन्हें पेंशन/ग्रेच्युटी का कोई अधिकार नहीं मिल सकता था, लेकिन उनकी मृत्यु के लिए, वह सजा नहीं दी जा सकती थी। लिखित बयान में आगे कहा गया है कि मामले में नरम रुख अपनाते हुए उनके पेंशन लाभ में 50 फीसदी की कटौती

करने का आदेश दिया गया है. अंततः रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

(4) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है। मुझे लगता है कि पंजाब सिविल सेवा नियम खंड II के नियम 6.17 में निहित पारिवारिक पेंशन योजना के प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन अनुदान का हकदार है। इन कानूनों में मृत सरकारी कर्मचारी के किसी भी कदाचार के कारण पारिवारिक पेंशन में कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, लिखित बयान में जिस अनुशासनात्मक कार्यवाही का संदर्भ दिया गया है, उसे याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन देने के रास्ते में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। अन्यथा भी, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए थी। उनकी मृत्यु के बाद इनका अनुसरण नहीं किया जा सका। कोई मृत व्यक्ति विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपना बचाव नहीं कर सकता। दरअसल, लिखित बयान में यह उल्लेख किया गया है कि संबंधित कार्यालय को पहले ही अनुशासनात्मक कार्यवाही बंद करने और कथित कमियों को माफ करने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन इस बिंदु पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो भी हो, मुझे लगता है कि सक्रिय सेवा के दौरान मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा को नियमों द्वारा प्रदान किए गए वैध लाभों से वंचित करना बेहद अन्यायपूर्ण है। यदि जरूरतमंद परिवार को समय पर सहायता प्रदान नहीं की जाती है और नौकरशाही में लालफीताशाही के कारण मामले को लंबे समय तक

लटकाए रखा जाता है, तो पारिवारिक पेंशन योजना और अन्य लाभों का उद्देश्य विफल हो जाता है।

(5) इसलिए, इन परिस्थितियों में, मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं, 30 जून, 1997 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश को रद्द करता हूं और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति को मंजूरी देने और जारी करने का निर्देश देता हूं। आज से दो महीने के भीतर अपने पति की मृत्यु की तारीख, यानी 3 नवंबर, 1983 को अर्जित अवकाश का लाभ न उठा पाने के बदले में ग्रेच्युटी और नकद राशि और अन्य पुन: परीक्षण लाभ। मैं आगे निर्देश देता हूं कि याचिकाकर्ता को वास्तविक भुगतान की तारीख तक देय राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका की लागत भी मिलेगी, जिसका मूल्यांकन 1,000 रुपये है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा